The Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences Act, 2015

Act No. 2 of 2016

Keywords:

Social Science, Welfare, UGC

Amendment appended: 7 of 2021

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 जनवरी 2016—पौष 23, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2016

क्र. 608-10-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11 जनवरी, 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०१६

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१५

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. परिभाषाएं.
३. विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन.
४. विश्वविद्यालय के लक्ष्य तथा उद्देश्य.
५. विश्वविद्यालय की अधिकारिता.
६. विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.
७. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.
८. कुलाधिपति.
९. कुलपति.
१०. विश्वविद्यालय के अधिकारी.
११. निदेशक.
१२. संकायाध्यक्ष.
१३. संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण.
१४. कुल सचिव.
१५. वित्त नियंत्रक.
१६. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.
१७. शासी निकाय.
१८. शासी निकाय का गठन.
१९. शासी निकाय की शक्तियां तथा कृत्य.
२०. कार्य परिषद्.
२१. कार्य परिषद् का गठन.
२२. कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.
२३. विद्या परिषद्.
२४. विद्या परिषद् का गठन.
२५. विद्या परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.
२६. वित्त समिति.
२७. प्राध्ययन स्कूल.
२८. निदेशालय.
२९. परिनियम.
३०. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३१. अध्यादेश.
३२. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३३. विनियम.
३४. विनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३५. वार्षिक रिपोर्ट.
३६. लेखाओं की संपरीक्षा.
३७. विश्वविद्यालय की निधि.
३८. उपाधि तथा उपाधिपत्र.
३९. सम्मानिक उपाधियां.
४०. उपाधियों इत्यादि का प्रत्याहरण.
४१. कठिनाईयों का दूर किया जाना.
४२. अस्थायी उपबंध.
४३. संरक्षण.
४४. कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए विशेष उपबंध.
४५. अधिक्रमण तथा व्यावृत्ति.
४६. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०१६

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१५

[दिनांक ११ जनवरी, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १३ जनवरी, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिये सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों के समस्त स्वरूपों में उच्चतर शिक्षा, गवेषणा, विस्तार और प्रशिक्षण को गति देने के लिए तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) जिला इंदौर, मध्यप्रदेश में सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित करने तथा उससे संसक्त एवं उससे आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१५ है.

परिभाषाएं

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विद्या परिषद्" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्;

(ख) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;

(ग) "संकायाध्यक्ष" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के स्कूल का संकायाध्यक्ष;

(घ) "संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;

(ङ) "विभाग" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का विभाग;

(च) "संचालक" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का विस्तार एवं प्रशिक्षण संचालक;

(छ) "कार्य परिषद्" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्;

(ज) "वित्त नियंत्रक" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक;

(झ) "शासी निकाय" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का शासी निकाय;

(ञ) "हाल" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई संधारित या मान्यताप्राप्त निवास इकाई, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो;

(ट) "विहित" से अभिप्रेत है, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित;

(ठ) "मान्यताप्राप्त संस्था" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित या मान्यताप्राप्त या उसके साथ संबद्ध कोई उच्च शिक्षण संस्था;

(ड) "कुल सचिव" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुल सचिव;

(ढ) "केन्द्र" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित केन्द्र;

(ण) "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" से अभिप्रेत है, तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम;

(त) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन स्थापित डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय;

(थ) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३) की धारा ४ के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(द) "कुलपति" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलपति;

विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन.

३. (१) मध्यप्रदेश राज्य में "डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा.

(२) विश्वविद्यालय का मुख्यालय डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला इंदौर, मध्यप्रदेश में होगा.

(३) विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा.

विश्वविद्यालय के लक्ष्य तथा उद्देश्य.

४. (१) विश्वविद्यालय का लक्ष्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए, सामाजिक विज्ञान परिप्रेक्ष्य के एकीकरण तथा वैज्ञानिक तथा तकनीकी उन्नयन के साथ रचनात्मक अभिगम द्वारा सामाजिक विज्ञान एवं अन्य विषयों में उच्च शिक्षा, गवेषणा, विस्तार और प्रशिक्षण को प्रोन्नत करना है.

(२) विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :—

(एक) शिक्षण, गवेषणा और विस्तार के माध्यम से उभरती विचारधारा एवं उपागम, उन्नत ज्ञान, बुद्धि और समझ का प्रसार करना और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास पर केन्द्रित नीतियों एवं कार्यक्रमों को बनाने एवं लागू करने में भी कृत्यकारियों को संवेदनशील बनाना एवं प्रशिक्षित करना;

(दो) अध्ययन की ऐसी शाखाओं में ज्ञान को, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करती हों, संस्थागत एवं गवेषणा सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्नत करना;

(तीन) शिक्षण, गवेषणा, विस्तार तथा प्रशिक्षण गतिविधियों में संकाय एवं छात्रों की अंतर्राष्ट्रीय अवस्थिति के अतिरिक्त जाति, मूलवंश, रंग, धर्म, सजातीयता, क्षेत्र, भाषा, लिंग के आधार पर, सामाजिक-आर्थिक विकास, सामाजिक रूप से कलंकित प्रथाओं, सामाजिक बुराइयों, अंधविश्वासों, विभेदकारी प्रथाओं के उन्मूलन के लिए, विकसित देशों में उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकी एवं तकनीक, आधुनिक साधन एवं पद्धति, प्रतिकृति एवं मापदंडों, रणनीतियों एवं दृष्टिकोण, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के उच्च शिक्षण के लिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों, संस्थाओं एवं संगठनों के सहयोग से नेटवर्क स्थापित करना;

(चार) उपेक्षित वर्ग के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने के लिए, तकनीकी तथा अन्य विषयों जिसमें अभियांत्रिकी, चिकित्सा विज्ञान, प्रबंधन अध्ययन, कृषि तकनीकी और ग्रामीण शिल्पकर्म की मूल सीमाओं में सामाजिक विज्ञान तथा समुचित कार्यक्रमों में परास्नातक एवं उच्चतर स्तर पर एकीकृत पाठ्यक्रम आयोजित करना;

(पांच) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा उन विभिन्न सामाजिक विचारकों एवं सुधारकों के, जिन्होंने की गई कल्पना के अनुसार सामाजिक रूप से अलाभ वाले वर्गों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक विकास और उनके सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, विचारों और दर्शन का अध्ययन करना;

(छह) जाति प्रथा से इसके विभिन्न पहलुओं जैसे कार्योत्पादन निरन्तरता और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध से उत्पन्न होने वाली सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक असमानता, निर्योग्यता और विभेद के तथ्य का उपयुक्त उपचारी उपायों का पता लगाने हेतु अध्ययन करना;

(सात) सामाजिक-आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक बुराईयों, सामाजिक विषमताओं और अन्याय के उन्मूलन पर केन्द्रित सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के साथ तकनीकी उन्नयन के सम्मिलन द्वारा नवप्रवर्तनात्मक रणनीतियां खोजना;

(आठ) छात्रों और अध्यापकों तथा नागरिकों के बीच भी देश की सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता एवं समझ प्रोन्नत करना और ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें तैयार करना;

(नौ) विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान तथा तकनीकी में शिक्षा, गवेषणा, विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए विशेष उपबंध करना;

(दस) सामाजिक रूप से अलाभ वाले वर्गों के विकास तथा सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही राज्य और केन्द्र सरकार तथा अन्य संगठनों को परामर्श एवं सलाह देना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्यों और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुसार अन्य सुसंगत साहित्य का प्रलेखन करना, प्रकाशित करना और प्रसार करना;

(बारह) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना जो विश्वविद्यालय के समस्त या उनमें से किसी उद्देश्य को पूरा करने में सहायक हो.

विश्वविद्यालय की अधिकारिता.

५. (१) विश्वविद्यालय की अधिकारिता संपूर्ण मध्यप्रदेश पर होगी.

(२) विश्वविद्यालय, शासी निकाय के अनुमोदन से अपनी शिक्षा, गवेषणा विस्तार तथा प्रशिक्षण की गतिविधियों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य के बाहर या विदेश में जिसमें विदेशी छात्र सम्मिलित हैं, किसी संस्था के साथ सहयोग कर सकेगा.

विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.

६. विश्वविद्यालय, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग अथवा कृत्यों का पालन करने में भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म-स्थान, राजनैतिक या अन्य अभिमत के आधार पर या उनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा.

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.

७. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) शिक्षा, गवेषणा, विस्तार एवं प्रशिक्षण के लिए विभाग/केन्द्र और ऐसी अन्य इकाईयां स्थापित करना जैसी कि इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक हों;

(दो) वहिर्वर्ती शिक्षण, विस्तार एवं प्रशिक्षण गतिविधियां, व्यक्तित्व एवं कौशल विकास, क्षमता निर्माण और उपचारी पाठ्यक्रम आयोजित करना एवं उनका जिम्मा लेना;

(तीन) शिक्षण के लिए, जिसमें दूरस्थ शिक्षा में अध्ययन की ऐसी शाखाएं सम्मिलित हैं जिन्हें कि विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, व्यवस्था करना और गवेषणा के लिये एवं ज्ञान के उन्नयन एवं प्रसार के लिए उपबंध करना;

(चार) प्रवेश के लिये परीक्षा आयोजित करना और व्यक्तियों को उपाधि-पत्र या प्रमाण-पत्र देना और उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना और ऐसे किन्हीं उपाधि-पत्रों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का युक्तियुक्त तथा पर्याप्त कारणों से प्रत्याहरण करना;

(पांच) अध्यादेश में अभिकथित रीति से सामाजिक उपाधियां या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(छह) ऐसे अध्यापन, तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य पदों का सृजन करना जो कि विश्वविद्यालय समय-समय पर, आवश्यक समझे और उन पर नियुक्तियां करना;

(सात) आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य के रूप में व्यक्तियों को नियुक्त करना या अन्यथा विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के रूप में मान्यता देना;

(आठ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अभिनन्दन तथा पुरस्कार संस्थित करना तथा प्रदान करना;

(नौ) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और बौद्ध धर्म की विचारधारा, विचार, दर्शन तथा सिद्धातों पर लेखन और व्याख्यान, साहित्य के संदर्भ में संग्रहालय, कला विधि, पुस्तकालय सृजित करना;

(दस) विश्वविद्यालय के छात्रों तथा कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित करना एवं उसका पालन करवाना और इस संबंध में ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो कि आवश्यक समझे जाएं;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के छात्रों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण को प्रोन्नत करने के लिए व्यवस्था करना;

(बारह) ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन पर परस्पर सहमति हो, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जो कि समय-समय पर विहित किए जाएं, उन उद्देश्यों को प्रोन्नत करने की दृष्टि से, जो कि विश्वविद्यालय के समान हो, भारत तथा विदेश में किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकारी या कोई सार्वजनिक अथवा निजी निकाय के साथ सहयोग करना;

(तेरह) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकारियों के साथ अनुदान प्राप्त करने और किसी अन्य संस्था के विश्वविद्यालय में निगमन के लिये भी और इसके अधिकार, संपत्तियां प्राप्त करने और किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिये जो इस अधिनियम से असंगत न हो, कोई करार करना;

(चौदह) ऐसे शुल्क तथा अन्य प्रभार, जिसमें समय-समय पर यथाविहित स्ववित्तीय पाठ्यक्रम सम्मिलित है, की मांग करना तथा भुगतान प्राप्त करना;

(पन्द्रह) दान प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए कोई चल-अचल संपत्ति जिसमें मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अथवा बाहर स्थित न्यास अथवा विन्यास संपत्ति सम्मिलित है, अर्जित करना, धारण करना और व्ययन करना, और निधियों का ऐसी रीति में निवेश करना, जैसी कि विश्वविद्यालय उचित समझे.

(सोलह) शोध एवं सलाहकारी एवं परामर्शी सेवाओं के लिये उपबंध करना और उस प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसे करार करना जैसा कि विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(सत्रह) शोध तथा अन्य कार्यों के, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाएं, मुद्रण प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(अठारह) राज्य सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय के मामलों के प्रयोजन के लिए, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना;

(उन्नीस) समस्त ऐसे अन्य कार्य तथा बातें करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या उनमें से किसी उद्देश्य को प्राप्त करने या उसमें अभिवृद्धि करने के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक हों.

कुलाधिपति.

८. (१) मध्यप्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा.

(२) वह उपाधि प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और शासी निकाय के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा.

कुलपति.

९. (१) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति में तथा ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों के साथ जैसा कि परिनियमों में विहित किया जाए, पांच वर्ष की कालावधि अथवा ७० वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, के लिए की जाएगी.

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक एवं शैक्षणिक अधिकारी होगा और कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा.

(३) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, कुलपति उपाधि प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह और शासी निकाय के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा.

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

१०. विश्वविद्यालय के अधिकारियों में संचालक, अध्ययन केन्द्र का संकायाध्यक्ष. संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण, कुल सचिव, वित्त नियंत्रक और ऐसे अन्य अधिकारी सम्मिलित होंगे, जिन्हें कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए.

निदेशक.

११. एक निदेशक होगा, जो ऐसी रीति में, ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों, जिसमें प्रशिक्षण तथा विस्तार सम्मिलित है, सहित नियुक्त किया जाएगा जैसा कि विनियमों में विहित किया जाए.

संकायाध्यक्ष.

१२. प्रत्येक केन्द्र के लिए एक संकायाध्यक्ष होगा, जो ऐसी रीति में, ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों सहित नियुक्त किया जाएगा जो कि विनियमों में विहित किए जाएं.

संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण.

१३. एक संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण होगा, जो ऐसी रीति में ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों सहित नियुक्त किया जाएगा, जो कि विनियमों में विहित किए जाएं.

कुलसचिव.

१४. एक कुलसचिव होगा, जो शासी निकाय, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा और जो मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, १९८३ में यथाविनिर्दिष्ट रीति में, इसके सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा. उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य विनियमों में विहित किए जा सकेंगे.

वित्त नियंत्रक

१५. एक वित्त नियंत्रक होगा जो वित्त समिति का सचिव होगा और मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, १९८३ में यथाविनिर्दिष्ट रीति में नियुक्त किया जाएगा. उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य विनियमों में विहित किए जा सकेंगे.

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

१६. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:—

(एक) शासी निकाय;
(दो) कार्य परिषद;
(तीन) विद्या परिषद्;
(चार) वित्त समिति; और
(पांच) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

शासी निकाय.

१७. (१) मध्यप्रदेश के राज्यपाल की अध्यक्षता में शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा. पदेन सदस्यों से भिन्न इसके सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा. अशासकीय सदस्य, कुलपति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे.

(२) शासी निकाय को कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी (सिवाय तब के जब कि इन अधिकारियों ने इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्य किया हो) और वह विश्वविद्यालय की उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यदेशों या विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं की गई हों:

परन्तु इस उपधारा के अधीन पुनर्विलोकन की शक्ति का, शासी निकाय के कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के सिवाय प्रयोग नहीं किया जाएगा.

(३) शासी निकाय की बैठक हेतु गणपूर्ति शासी निकाय के एक-तिहाई सदस्यों से कम से नहीं होगी.

शासी निकाय का गठन.

१८. विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:

(एक) विश्वविद्यालय का कुलाधिपति—अध्यक्ष
(दो) विश्वविद्यालय का कुलपति—उपाध्यक्ष

पदेन सदस्यः

(तीन) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अथवा उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती;

(चार) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग अथवा उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती;

(पांच) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग अथवा उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती ;

(छह) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग अथवा उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती ;

(सात) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग अथवा अतिरिक्त सचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती ;

(आठ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती ;

(नौ) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् का अध्यक्ष या भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के निदेशक से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती;

(दस) सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, नई दिल्ली का संयुक्त सचिव या उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती;

(ग्यारह) निदेशक, डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली;

(बारह) विश्वविद्यालय के विस्तार एवं प्रशिक्षण का निदेशक;

(तेरह) विश्वविद्यालय के तीन संकायाध्यक्ष जो चक्रानुक्रम आधार पर तीन वर्ष के लिए कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे;

(चौदह) विश्वविद्यालय का कुल सचिव—सचिव.

अशासकीय सदस्य

(पन्द्रह) दो ख्याती प्राप्त सामाजिक वैज्ञानिक जिनमें से कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हो और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में शैक्षणिक या गवेषणा का अनुभव रखता हो;

(सोलह) दो ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हो तथा ख्याति प्राप्त शासकीय/अशासकीय संगठनों से सहयुक्त हो तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में अनुभव रखते हों.

शासी निकाय की शक्तियां तथा कृत्य.

१९. (१) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शासी निकाय समस्त आवश्यक कार्यवाईयां करेगा.

(२) शासी निकाय, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा—

(एक) विश्वविद्यालय के परिनियम बनाना एवं उन्हें संशोधित करना;

(दो) प्रगति का पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करना;

(तीन) कार्य परिषद् या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी निकाय के किसी प्रस्ताव, सिफारिश, विनिश्चय या प्रतिवेदन को स्वीकार करना, रद्द करना, पुनर्विलोकन करना, अभिखंडित करना या उसे वापस निर्दिष्ट करना;

(चार) अध्यादेश में संशोधन को प्रस्तावित करना;

(पांच) शासी निकाय के सदस्यों के अतिरिक्त विशेष आमंत्रिती के रूप में और व्यक्तियों को आमंत्रित करना;

(छह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो कि अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं.

२०. (१) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय की कार्यकारी निकाय होगी. कार्य परिषद्.

(२) पदेन सदस्यों के अलावा कार्यकारी परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, अशासकीय सदस्यों का नामनिर्देशन, कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष द्वारा शासी निकाय के अशासकीय सदस्यों में से किया जाएगा.

(३) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय के सामान्य प्रबंध तथा प्रशासन (जिसमें राजस्व एवं संपत्ति सम्मिलित हैं) की प्रभारी होगी.

(४) बैठक हेतु गणपूर्ति कार्य परिषद् के कुल सदस्यों के कम से कम आधे सदस्यों से होगी.

२१. विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा :— कार्य परिषद् का गठन.

(एक) विश्वविद्यालय का कुलपति — अध्यक्ष;

पदेन-सदस्य

(दो) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जो उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का न हो;

(तीन) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग या उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका कोई नामनिर्देशिती;

(चार) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग या उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका कोई नामनिर्देशिती;

(पांच) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग या उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका कोई नामनिर्देशिती;

(छह) अध्यक्ष (चेयरपर्सन), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् या भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के संचालक से अनिम्न श्रेणी का उसका कोई नामनिर्देशिती;

(सात) निदेशक, विश्वविद्यालय विस्तार एवं प्रशिक्षण;

(आठ) विश्वविद्यालय के तीन संकायाध्यक्ष जो शासी निकाय के सदस्य हों.

(नौ) विश्वविद्यालय का कुलसचिव—सचिव;

अशासकीय-सदस्य

(दस) दो ख्याति प्राप्त समाज विज्ञानी जो शासी निकाय के सदस्य हैं;

(ग्यारह) दो ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो शासी निकाय के सदस्य हैं;

२२. (१) कार्य परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करेगी— कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.

(एक) समय-समय पर विश्वविद्यालय के अध्यादेश एवं परिनियमों से अनअसंगत विनियम बनाना एवं उन्हें संशोधित करना;

(दो) शिक्षक वर्ग के पदों के वेतनमान के साथ-साथ अर्हताएं, पारिश्रमिक, कर्तव्य, सेवा शर्तें, अनुशासनिक तथा अपील प्राधिकारी सृजित करना तथा वर्गीकृत करना तथा निर्धारित करना;

(तीन) ग्रंथपाल, आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य और शिक्षक वर्ग के उतने अन्य सदस्यों को, इस प्रयोजन हेतु विनियमों द्वारा गठित की गई चयन समिति की सिफारिश पर, समय-समय पर नियुक्त करना जो कि आवश्यक हों:

परंतु शैक्षणिक पदों का सृजन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा;

(चार) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से प्रशासकीय, लिपिकीय एवं अन्य आवश्यक पदों को सृजित करना तथा इन पदों की न्यूनतम अर्हताएं तथा परिलब्धियां निर्धारित करना;

(पांच) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे, निवेश, संपत्ति और सभी अन्य प्रशासनिक मामलों का प्रबंध करना तथा उन्हें विनियमित करना तथा उस प्रयोजन के लिये उतने अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना जितने कि वह आवश्यक समझे;

(छह) क्रय, दान, विनिमय, पट्टे, भाड़े द्वारा या अन्यथा ऐसी चल या अचल संपत्ति या निधियां अर्जित करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों तथा अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों;

(सात) विश्वविद्यालय की किसी चल या अचल संपत्ति को बेचना, बंधक रखना, भारित करना/पट्टे पर देना, विनिमय करना या अन्यथा अंतरण या व्ययन करना;

(आठ) बांड, डिबेंचर और वचन पत्रों या अन्य बाध्यताओं या विश्वविद्यालय की प्रतिभूतियों पर, विश्वविद्यालय की किसी स्थावर अथवा जंगम सम्पत्ति के बंधक, भार, आड़मान अथवा गिरवी द्वारा ऐसे धन जुटाना अथवा उधार लेना जो कि विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों;

(नौ) शिक्षक वर्ग के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही में जांच के प्रतिवेदन पर विचार करना, जहां विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार दीर्घ दण्ड प्रस्तावित हो;

(दस) अध्यादेश में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में अपील प्राधिकारी के रूप में कृत्य करना;

(ग्यारह) (क) वार्षिक प्रतिवेदन;
(ख) वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षक का प्रतिवेदन;
(ग) वार्षिक बजट;
पर विचार करना तथा उनका अनुमोदन करना.

(बारह) बजट में यथा अनुमोदित, आवर्ती और अनावर्ती मदों पर व्यय मंजूर करना;

(तेरह) एक बजट शीर्ष से दूसरे बजट शीर्ष में निधियों को पुनर्विनियोजित करना;

(चौदह) शासी निकाय के समक्ष विचारण हेतु रखे जाने से पूर्व समस्त मामलों की छंटनी कर उनकी अनुशंसा करना;

(पंद्रह) कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा नियत ऐसी सीमाओं से अधिक मौद्रिक मूल्य के अभियांत्रिक कार्यों, पूंजीगत उपस्कर के क्रय और योजनाओं तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुमोदन प्रदान करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा तथा उपयोग हेतु उपबंध करना;

(सत्रह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जैसे कि शासी निकाय द्वारा उसे प्रदत्त या प्रत्यायोजित किए जाएं;

(अठारह) विश्वविद्यालय के कुलपति को या उसके द्वारा नियुक्त समिति को, जिसे कि वह उचित समझे, अपनी किन्हीं शक्तियों को प्रत्यायोजित करना.

(२) **कार्य परिषद् :**

(एक) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति तथा अभिवृद्धि हेतु नये विभागों, अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों, विस्तार तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सृजन कर सकेगी.

(दो) राज्य सरकार के वित्त विभाग के निर्बाधन के अध्यधीन रहते हुए, नवीन विद्यालयों, संचालनालयों तथा संस्थाओं के सृजन हेतु शासी निकाय को अनुशंसा कर सकेगी.

विद्या परिषद्.

२३. (१) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की उच्चतम शैक्षणिक निकाय होगी.

(२) पदेन सदस्यों से भिन्न, इसके सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा.

(३) विद्या परिषद्, शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी होगी तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी जो कि अध्यादेश में विहित किए जाएं.

विद्या परिषद् का गठन.

२४. विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(एक) विश्वविद्यालय का कुलपति — अध्यक्ष;
(दो) संकायाध्यक्ष, अध्ययन विभाग;
(तीन) निदेशक, विस्तार तथा प्रशिक्षण;
(चार) संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण;
(पांच) ग्रंथपाल;
(छह) वित्त नियंत्रक;
(सात) विभागाध्यक्ष;
(आठ) दो ख्याति प्राप्त सामाजिक विज्ञानी शासी निकाय के अशासकीय सदस्य होंगे जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;
(नौ) विश्वविद्यालय का कुल सचिव — सचिव

विद्या परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.

२५. विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख विद्या संबंधी निकाय होगी तथा उसकी निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे :—

(एक) प्रवेश, शिक्षण के मानकों, परीक्षा, मूल्यांकन, अध्येतावृत्तियों, फीस, छूट, उपस्थिति, अनुशासन, शैक्षणिक समुन्नति और शैक्षणिक उत्कृष्टता आदि के लिए अध्यादेश बनाना तथा उनमें संशोधन करना, जिससे कि विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके;

(दो) विश्वविद्यालय के समस्त विद्या संबंधी मामलों जैसे शिक्षा, गवेषणा विस्तार तथा प्रशिक्षण; दूरस्थ शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विनिमय कार्यक्रमों आदि के संबंध में परामर्श करना, योजना बनाना, परिचालन, पर्यवेक्षण, मानीटर तथा प्रबंध करना;

(तीन) अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं की उपाधियों तथा उपाधिपत्रों को मान्यता देना और विश्वविद्यालय की उपाधियों तथा उपाधिपत्रों के संबंध में समतुल्यता अवधारित करना;

(चार) परिसर में, जिसमें सम्मिलित हैं केन्द्र तथा विभाग, परीक्षा, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां और शास्ति तथा दण्ड, आचरण, परिवीक्षा, समय-पालन आदि, अनुशासन तथा शालीनता बनाए रखने के लिए छात्रों के लिये विनियम बनाना;

(पाँच) शैक्षणिक कार्यक्रम और कलेण्डर, शिक्षण पाठ्यक्रम अनुमोदित करना तथा विश्वविद्यालय की वृहत् शैक्षणिक नीतियां निर्धारित करना जिसमें पाठ्यचर्या विकास, अध्ययन बोर्ड के माध्यम से समय-समय पर पाठ्यक्रम विरचित करना तथा पुनरीक्षित करना सम्मिलित है;

(छह) विद्या संबंधी मामलों के संबंध में समस्त ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जैसे कि इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंधों के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों;

(सात) शासी निकाय या कार्य परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किसी विषय पर, रिपोर्ट करना;

(आठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जैसे कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं.

वित्त समिति.

२६. (१) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति — अध्यक्ष (चेयरपर्सन);
(दो) विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्ष/निदेशक
(तीन) विश्वविद्यालय का कुल सचिव
(चार) विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक — सचिव

(२) वित्त समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

(३) वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन, विचार तथा समीक्षा हेतु वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे तथा तत्पश्चात् संशोधनों सहित या बिना संशोधन के कार्य परिषद् के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किए जाएंगे.

प्राध्ययन स्कूल.

२७. (१) उतनी संख्या में, अध्ययन स्कूल होंगे जितनी शासी निकाय द्वारा अवधारित किए जाएं और उतनी संख्या में प्राध्ययन केन्द्र तथा विभाग होंगे, जितनी कि कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए.

(२) पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आरंभिक तौर पर विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अध्ययन स्कूल होंगे :—

(एक) डॉ. अम्बेडकर विचार और दर्शन स्कूल;
(दो) सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन अध्ययन स्कूल;
(तीन) कृषि और ग्रामीण विकास स्कूल;
(चार) शिक्षा और कौशल विकास स्कूल;
(पांच) विधि और सामाजिक न्याय स्कूल;

(३) शासी निकाय स्कूल गठित कर सकेगी और कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर केन्द्रों तथा विभागों को स्थापित कर सकेगी.

(४) प्रत्येक अध्ययन स्कूल का एक संकायाध्यक्ष होगा जो ऐसी रीति में नियुक्त किया जाएगा जैसी कि विनियमों में विहित की जाए.

(५) प्रत्येक अध्ययन स्कूल ऐसे विभागों से मिलकर बनेगा जो कि अध्यादेशों द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं.

(६) प्रत्येक अध्ययन स्कूल का एक अध्ययन बोर्ड होगा जो ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा जैसा कि अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाए.

(७) अध्ययन बोर्ड की शक्तियां तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे कि अध्यादेश द्वारा विहित किए जाएं.

निदेशालय. २८. सुसंगत परिनियमों के उपबंधों के अधीन विहित किए गए अनुसार विश्वविद्यालय के निदेशालय स्थापित किए जाएंगे, जिनके द्वारा विश्वविद्यालय, अनुसंधान, विस्तार तथा प्रशिक्षण गतिविधियां, सुसंगत आध्यादेशों के अधीन स्थापित साामाजिक विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से संचालित करेगा.

परिनियम. २९. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं विषयों के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(एक) स्कूल, निदेशालयों तथा संस्थाओं का सृजन;
(दो) शासी निकाय का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उससे संबंधित अन्य विषय;
(तीन) कार्य परिषद् का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उससे संबंधित अन्य विषय;
(चार) विद्या परिषद् का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उससे संबंधित अन्य विषय;
(पांच) कुलपति की नियुक्ति, निबंधन तथा शर्तें, वेतनमान तथा उपलब्धियां, शक्तियां तथा कृत्य;
(छह) शासी निकाय के अनुमोदन से कोई अन्य विषय.

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे. ३०. विश्वविद्यालय, समय-समय पर, नवीन या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों को निरसित कर सकेगा:

परंतु प्रत्येक नया परिनियम या परिनियमों में कोई परिवर्धन या किसी परिनियम का संशोधन या निरसन, शासी निकाय के अनुमोदन से किया जाएगा.

अध्यादेश. ३१. विश्वविद्यालय समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये अध्यादेश बनाएगा, अर्थात् :—

(एक) अध्ययन पाठ्यक्रम, प्रवेश, शिक्षण मानक, परीक्षाओं का संचालन, मूल्यांकन, अध्येतावृत्तियां, फीस, छूट, उपस्थिति, अनुशासन, शैक्षणिक समुन्नति तथा शैक्षणिक उत्कृष्टता जिससे के विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके;

(दो) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली उपाधियां, उपाधिपत्र, प्रमाण-पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टिताएं तथा उनके लिए अर्हताएं;

(तीन) विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाधिपत्रों तथा प्रमाण-पत्रों के लिये ली जाने वाली परीक्षाएं;

(चार) विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक कार्यों जैसे शिक्षा, अनुसंधान, विस्तार तथा प्रशिक्षण, दूरस्थ शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विनिमय कार्यक्रम आदि का पर्यवेक्षण, मानीटरिंग तथा प्रबंधन;

(पांच) आचार संहिता, नियम संहिता, अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा विद्यार्थियों के लिए समिति;

(छह) विविध तथा अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा, अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाने हों या उपबंधित किए जाएं.

अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.

३२. प्रथम प्रशासनिक तथा शैक्षणिक अध्यादेश, कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे तथा इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित करवाए जाएंगेः

परन्तु ऐसे अध्यादेशों में किसी संशोधन की दशा में, उक्त संशोधन अनुमोदन की तारीख से लागू होगा.

विनियम.

३३. विश्वविद्यालय, इस अधिनियम से अन्असंगत विश्वविद्यालय के संकाय और अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द के लिए नियुक्ति, सेवा के निबंधन तथा शर्तों, वेतन तथा भत्तों, सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं, पेंशन, उपदान आदि के लिये अपने स्वयं के विनियम बनाएगा.

विनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.

३४. विश्वविद्यालय, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त विनियम बना सकेगा या विनियमों को संशोधित या उन्हें निरसित् कर सकेगाः

परन्तु प्रत्येक नए विनियम या विनियम में कोई अभिवृद्धि या किसी विनियम में कोई संशोधन या निरसन, कार्य परिषद् के अनुमोदन से किया जाएगा.

वार्षिक रिपोर्ट.

३५. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और कार्य परिषद् को ऐसी तारीख को या उसके पूर्व जैसी कि विहित की जाए प्रस्तुत की जाएगी.

लेखाओं की संपरीक्षा.

३६. (१) विश्वविद्यालय के लेखे, प्रति वर्ष कम से कम एक बार, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए लेखा संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे. लेखाओं की संपरीक्षा महालेखाकार द्वारा भी की जा सकेगी.

(२) संपरीक्षा लेखाओं की एक प्रति संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ अनुमोदन के लिए कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.

(३) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये कार्य परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित संपरीक्षित लेखाओं की और संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् बारह मास से अनधिक के भीतर सरकार को प्रस्तुत की जाएगी.

विश्वविद्यालय की निधि.

३७. (१) विश्वविद्यालय निधि के नाम से विश्वविद्यालय की एक निधि होगी और इसकी समस्त प्राप्तियां इसमें जमा की जाएंगी तथा विश्वविद्यालय के समस्त भुगतान उसमें से किए जाएंगे.

(२) विश्वविद्यालय निधि के निम्नलिखित भाग होंगे या इसमें संदत्त किए जाएंगे.—

(एक) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय द्वारा कोई भाड़ा, अभिदाय या अनुदान;

(दो) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास (एण्डाउमेन्ट्स) तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हों;

(तीन) समस्त स्त्रोतों से प्राप्तियां, जिसमें फीस तथा प्रभार सम्मिलित हैं;

(चार) विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां जैसे अध्यापन, अनुसंधान, प्रशिक्षण, विस्तार, सेमिनार, परिसंवाद, कार्यशाला आदि के लिए समस्त स्रोतों से प्राप्त निधियां; तथा

(पांच) विश्वविद्यालय द्वारा किसी वैध स्रोत से प्राप्त की गई समस्त अन्य राशियां.

(३) विश्वविद्यालय निधि, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का २) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी.

३८. विश्वविद्यालय निम्नलिखित उपाधियां प्रदान करेगा, अर्थात् :— **उपाधि तथा उपाधिपत्र.**

(एक) साहित्य में डाक्टरेट (डी. लिट.) या विज्ञान में डाक्टरेट (डी.एससी.) या विधि में डाक्टरेट (एल.एल.डी.);

(दो) दर्शन शास्त्र में डाक्टरेट (पीएच.डी.);

(तीन) दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर (एम. फिल.);

(चार) कला, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, विधि, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, वाणिज्य, प्रबंधन तथा सहबद्ध विषयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि;

(पांच) ऐसी अन्य डाक्टरेट उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि या पत्रोपाधि स्नातक उपाधि या प्रमाण-पत्र जैसे कि विनियामक प्राधिकरणों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के माध्यम से विहित किए जाएं.

३९. सम्मानिक उपाधियां प्रदान करने का कोई भी प्रस्ताव विद्या परिषद् द्वारा कार्य परिषद् को किया जाएगा तथा यदि कार्य परिषद् द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो पुष्टि के लिये कुलाधिपति की सहमति ली जाना अपेक्षित होगी. **सम्मानिक उपाधियां.**

४०. विद्या परिषद्, कम से कम दो तिहाई से अनिम्न सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किसी विशेष संकल्प द्वारा, उचित तथा पर्याप्त कारण से, विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई कोई उपाधि या विद्या संबंधी विशिष्टता या उसे प्रदत्त किसी प्रमाण पत्र या उपाधिपत्र का प्रत्याहरण कर सकेगी: **उपाधियों इत्यादि का प्रत्याहरण.**

परन्तु ऐसा कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह कारण बताने का अवसर प्रदान करते हुए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित किया जाए, लिखित में एक सूचना पत्र न दे दिया जाए तथा जब तक उसकी आपत्तियों, यदि कोई हों तथा किसी साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विद्या परिषद् द्वारा विचार न कर लिया जाए.

४१. इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम से अन्असंगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों. **कठिनाईयों का दूर किया जाना.**

४२. इस अधिनियम तथा परिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी— **अस्थायी उपबंध.**

(एक) मध्यप्रदेश के महामहिम राज्यपाल, डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) के अध्यक्ष को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में पदाभिहित किया जाएगा;

(दो) महानिदेशक, डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) को पांच वर्ष की बची हुई अवधि अथवा ७० वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, तक के लिये विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में पदाभिहित किया जाएगा. पश्चात्वर्ती कुलपति परिनियमों में यथाविहित रीति में नियुक्त किया जाएगा.

(तीन) शासी निकाय, कार्यपरिषद् तथा विद्या परिषद् के सदस्य, कुलपति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;

(चार) डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) की समस्त आस्तियां, अभिलेख तथा दायित्व, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से विश्वविद्यालय की आस्तियां, अभिलेख तथा दायित्व हो जाएंगे.

संरक्षण.

४३. विश्वविद्यालय के कुलपति, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के संबंध में, जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक की गई है या जिसका इस प्रकार सद्‌भावपूर्वक किया जाना तात्पर्यित रहा है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी और न ही उनसे कोई नुकसानी का दावा किया जाएगा.

कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए विशेष उपबंध.

४४. (१) यदि राज्य सरकार का किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किए बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और यह कि ऐसा करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा, उसमें वर्णित किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (२), (३), (४) और (५) के उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के रूप में निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को लागू होंगे,

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के नाम से निर्दिष्ट है), नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर, उस कालावधि में ऐसी और कालावधि की वृद्धि, जैसा वह उचित समझे, इस प्रकार कर सकेगी कि अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक न हो जाए,

(३) नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व पद धारित करने वाला कुलपति इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है नियत तारीख से अपना पद रिक्त करेगा और कुलाधिपति, अधिसूचना के जारी होने के साथ-साथ कुलपति को नियुक्त करेगा जो अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान पद धारण करेगा :

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति की नियुक्ति करेगा और वैसी ही रीति में कुलाधिपति द्वारा हटाया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलपति, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात् तब तक पद धारण किए रह सकेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(४) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

(एक) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण किए हुए हो, उस पद पर नहीं रह जाएगा;

(दो) जब तक यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का पुनर्गठन न हो जाए तब तक उपधारा (३) के अधीन नियुक्त किया गया कुलपति, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि कार्य परिषद् या विद्या परिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किए गए हों:

परन्तु कुलाधिपति यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किए गए कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिए एक ऐसी समिति की नियुक्ति कर सकेगा, जिसमें कि एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे.

(५) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात् यथासाध्य शीघ्र, कुलपति अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् का गठन करने के लिए कार्यवाही और करेगा और इस प्रकार गठित की गई कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् आने वाली तारीख को या उस तारीख को जिसको कि संबंधित निकायों का इस प्रकार गठन हो जाए, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, कार्य करना प्रारम्भ कर देगी:

परन्तु यदि कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न की जाए, तो कुलपति, ऐसा अवसान हो जाने पर, इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए उस समय तक करेगा, जब तक कि यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाए.

अधिक्रमण तथा व्यावृत्ति.

४५. डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) के विनियम अर्थात् संगम ज्ञापन तथा समय-समय पर यथा संशोधित विनियम दिनांक २ मार्च १९९८, इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उनके प्रारम्भ की तारीख से अधिष्ठित हो जाएंगे:

परंतु इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) में की गई समस्त नियुक्तियां, जारी की गई समस्त अधिसूचनाएं साथ ही साथ आदेश, प्रदान किए गए विशेषाधिकार या संगम ज्ञापन तथा विनियमों के अधीन की गई कोई अन्य बातें इस अधिनियम तथा परिनियमों के अधीन क्रमशः की गई नियुक्तियां, जारी की गई अधिसूचनाएं व आदेश, प्रदान किए गए विशेषाधिकार या की गई बातें समझी जाएंगी.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

४६. (१) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ४ सन् २०१५) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2016

क्र. 608-10-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 2 OF 2016

DR. B. R. AMBEDKAR UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES ACT, 2015

TABLE OF CONTENTS

Sections:

1	Short title.
2	Definitions.
3	Establishment and incorporation of University.
4	Aim and objectives of the University.
5	Jurisdiction of the University.
6	Prohibition of discrimination in all matters connected with the University.
7	Powers and functions of the University.
8	Chancellor.
9	Vice-Chancellor.
10	Officers of the University.
11	Director.
12	Dean.
13	Dean Students Welfare.
14	Registrar.
15	Finance Comptroller.
16	Authorities of the University.
17	The Governing Body.
18	Constitution of Governing Body.
19	Powers and functions of Governing Body.
20	The Executive Council.
21	Constitution of Executive Council.
22	Powers and functions of Executive Council.
23	The Academic Council.
24	Constitution of Academic Council.
25	Powers and functions of Academic Council.
26	Finance Committee.
27	School of Studies.
28	Directorates.
29	Statutes.
30	Statutes how made.
31	Ordinances.
32	Ordinances how made.
33	Regulations.
34	Regulations how made.
35	Annual report.
36	Audit of accounts.
37	Fund of the University.
38	Degrees and diplomas.
39	Honorary degrees.
40	Withdrawal of degrees, etc.
41	Removal of difficulties.
42	Transitional provision.
43	Indemnity.
44	Special provision for better administration of University in certain circumstances.
45	Supersession and saving.
46	Repeal and saving.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 2 OF 2016

DR. B. R. AMBEDKAR UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES ACT, 2015

[Received the assent of the Governor on the 11th January, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 13th January, 2016].

An Act to provide for establishment and incorporation of the University of Social Sciences at Mhow, District Indore, Madhya Pradesh to accelerate higher education, research, extension and training in all aspects of social sciences and other disciplines for educational excellence and socio-economic development of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-sixth year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences Act, 2015.

Definitions. 2. In this Act unless the context otherwise requires ,—

(a) "Academic Council" means Academic Council of the University;

(b) "Chancellor" means Chancellor of the University;

(c) "Dean" means Dean of School of Study of the University;

(d) "Dean Students Welfare" means Dean of Students Welfare of the University;

(e) "Department" means Department of the University;

(f) "Director" means Director Extension and Training of the University;

(g) "Executive Council" means Executive Council of the University;

(h) "Finance Comptroller" means Finance Comptroller of the University;

(i) "Governing Body" means Governing Body of the University;

(j) "Hall" means a unit of residence, by whatever name called, for students of the University provided, maintained or recognized by it;

(k) "prescribed" means prescribed by Statues, Ordinances or Regulations;

(l) "recognized institution" means an institution of higher learning maintained or recognized by, or associated with the University;

(m) "Registrar" means Registrar of the University;

(n) "School" means a School maintained by the University;

(o) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" means respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University for the time being in force;

(p) "University" means the Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences established under section 3;

(q) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (No. 3 of 1956);

(r) "Vice-Chancellor" means Vice-Chancellor of the University.

Establishment and incorporation of the University.

3. (1) There shall be established in the State of Madhya Pradesh a University by the name of "Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences".

(2) The headquarters of the University shall be at Dr. Ambedkar Nagar (Mhow), District Indore, Madhya Pradesh.

(3) The University shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

Aim and objectives of the University.

4. (1) The aim of the University is to promote higher education, research, extension and training in social sciences and other disciplines by integration of social sciences perspectives and constructive approaches with scientific and technological advancement for socio-economic development and educational excellence of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(2) The objectives of the University are as follows :—

(i) to disseminate emerging ideology and approaches, advance knowledge, wisdom and understanding through teaching, research and extension and also sensitise and train functionaries in formulation and implementation of policies and programmes aimed at socio-economic and educational development of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes:

(ii) to advance knowledge by providing instructional and research facilities in such branches of learning which shall fulfil the aims of the University;

(iii) to establish a network in collaboration with national and international Universities, Institutions and Organizations for advanced learning of technology and techniques, modern tools and methodology, models, modules, strategies and approaches, schemes and programmes, being used in developed countries for socio-economic development, eradication of socially stigmatized practices, social evils, superstitions, discriminatory practices based on caste, creed, colour, religion, ethnicity, region, language, gender, besides international exposure of faculty and students in teaching, research, extension and training activities;

(iv) to conduct integrated courses at post-graduation and higher levels in social sciences and appropriate programmes in key frontiers of technology and other disciplines including engineering, medical sciences, management studies, agricultural technology and rural crafts to accelerate socio-economic development of marginalized sections;

(v) to study the thought and philosophy of various social thinkers and reformers, who have made significant contributions in the area of socio-economic and educational development and empowerment of socially disadvantaged groups, as envisioned by Dr. B.R. Ambedkar;

(vi) to study phenomena of socio-economic and educational inequality, disability and discrimination arising out of the caste system, in their various aspects for example causation, perpetuation and resistance to change in order to find out suitable remedial measures;

(vii) to explore innovative strategies by confluence of scientific approaches of social sciences with technological advancement aimed at socio-economic development, poverty alleviation and eradication of social evils, social disparities and injustice;

(viii) to promote in the students and teachers, and also among citizens an awareness and understanding of social needs of the country and prepare them for fulfilling such needs;

(ix) to make special provisions for integrated courses in social sciences, humanities, Science and Technology in education, research, extension and training programmes of the University;

(x) to provide consultancy and advice to State and Central Government and other organisations working for development and empowerment of socially disadvantaged groups;

(xi) to document, publish and disseminate works done by the University and other relevant literature as per aims of the University;

(xii) to do all such things as are conducive to the attainment of all or any of the objectives of the University.

Jurisdiction of the University.

5. (1) The jurisdiction of the University shall be the whole of Madhya Pradesh.

(2) The University may collaborate with any institution outside the State of Madhya Pradesh or abroad including overseas students for carrying out partly or wholly any of its education, research, extension and training activities, with the approval of the Governing Body.

Prohibition of discrimination in all matters connected with the University.

6. The University shall not discriminate against any citizen of India on grounds of religion, race, caste, creed, sex, place of birth, political or other opinion or any of them in the exercise of powers or performance of functions conferred or imposed upon it by or under this Act.

Powers and functions of the University.

7. The University shall have following powers and functions, namely:—

(i) to establish Departments/Centres and such other units for education, research, extension and training as are necessary for the furtherance of its objectives;

(ii) to organize and undertake extra-mural teaching, extension and training activities, personality and skill development, capacity building and remedial courses;

(iii) to provide for instructions including distance education in such branches of learning as the University may from time to time determine, and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge;

(iv) to conduct examinations for admission and grant of diplomas or certificates to, and confer degrees and other academic distinctions on persons and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for reasonable and sufficient cause;

(v) to confer honorary degrees or other academic distinctions in the manner laid down in the ordinance;

(vi) to create such teaching, technical, administrative and other posts as the University may deem necessary, from time to time, and to make appointments thereto;

(vii) to appoint persons as Professors, Associate Professors, Assistant Professors, or otherwise recognize as teachers of the University;

(viii) to institute and award Fellowships, Scholarships, Felicitations and prizes;

(ix) to create museum, art gallery, library with references on writings and speeches, literature on the ideology, thoughts, philosophy and principles of Dr. B.R. Ambedkar and Buddhism;

(x) to regulate and enforce discipline among students and employees of the University and to take such disciplinary measures in this regard as may be deemed necessary;

(xi) to make arrangements for promoting health and general welfare of students and employees of the University;

(xii) to co-operate with any other University, authority or association or any other public or private body in India and abroad having in view the promotion of objectives similar to those of the University for such purposes as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be prescribed;

(xiii) to enter into any agreement with Central Government, State Government, University Grants Commission or other authorities for receiving grants and also for the incorporation in the University of any other institution and for taking over its rights, properties and for any other purpose not repugnant to this Act;

(xiv) to demand and receive payment of such fees and other charges including for self-finance courses as may be prescribed, from time to time;

(xv) to receive donations and to acquire, hold, manage and dispose of any property movable or immovable, including trust or endowed property within or outside the State of Madhya Pradesh, for the objects of the University, and to invest funds in such manner as the University may deem fit;

(xvi) to make provision for research and advisory and consultancy services and for that purpose to enter into such agreement with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(xvii) to provide for the printing, reproduction and publication of research and other work which may be issued by the University;

(xviii) to borrow, with the approval of the State Government, on the security of the University property, money for the purposes of the University affairs;

(xix) to do all such other acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment or enlargement of all or any of the objectives of the University.

Chancellor.

8. (1) The Governor of Madhya Pradesh shall be Chancellor of the University.

(2) He shall preside over the convocation for conferring degrees and shall chair meetings of the Governing Body.

Vice-Chancellor.

9. (1) He shall be appointed by the Chancellor for a term of five years or attainment of 70 years of age, whichever is earlier, in such manner and with such powers and functions as prescribed in the Statute.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal administrative and academic officer of the University. He shall chair the meetings of the Executive Council and Academic Council.

(3) In the absence of the Chancellor, he shall preside over convocation for conferring degrees and meetings of the Governing Body.

10. The officers of the University shall include Director, Dean of School, Dean Students Welfare, Registrar, Finance Comptroller, and such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University. **Officers of the University.**

11. There shall be a Director, who shall be appointed in such manner with such powers and duties including extension and training as may be prescribed in the regulations. **Director.**

12. There shall be a Dean for each School of Study who shall be appointed in such manner with such powers and duties as may be prescribed in the regulations. **Dean.**

13. There shall be a Dean Students Welfare who shall be appointed in such manner with such powers and duties as may be prescribed in the regulations. **Dean Students Welfare.**

14. There shall be a Registrar who shall act as Secretary of the Governing Body, the Executive Council and the Academic Council and who shall be appointed in such manner as specified in the Madhya Pradesh State University Service Rules, 1983 from amongst its members. His powers and duties may be prescribed in the regulations. **Registrar.**

15. There shall be a Finance Comptroller who shall be the Secretary of the Finance Committee and shall be appointed in such manner as specified in the Madhya Pradesh State University Service Rules, 1983. His powers and duties may be prescribed in the regulations. **Finance Comptroller.**

16. The following shall be the authorities of the University:— **Authorities of the University.**

(i) the Governing Body,

(ii) the Executive Council,

(iii) the Academic Council,

(iv) the Finance Committee, and

(v) such other authorities as may be prescribed by the Statutes.

17. (1) The Governing Body headed by the Governor of Madhya Pradesh shall be the supreme authority of the University. The term of its members other than *ex-officio* members shall be three years. The non-official members shall be nominated by the State Government in consultation with the Vice-Chancellor. **The Governing Body.**

(2) The Governing Body shall have the power to review the acts of the Executive Council and the Academic Council (save when these authorities have acted in accordance with the powers conferred upon them under this Act, the Statutes or the Ordinances) and shall exercise all the powers of the University not otherwise provided for by this Act, Statutes, Ordinances or Regulations:

Provided that the power of review under this sub-section shall not be exercised except by a majority of total membership of the Governing Body and by a majority of not less than two-third of the members of the Governing Body present and voting.

(3) Quorum for a meeting of the Governing Body shall be not less than one-third of the total members of the Governing Body.

18. The Governing Body of the University shall consist of— **Constitution of Governing Body.**

(i) the Chancellor of University - Chairperson;

(ii) the Vice-Chancellor of the University - Vice-Chairperson;

Ex-Officio Members

(iii) the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Scheduled Caste Welfare Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary;

(iv) the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Tribal Welfare Department, or his nominee not below the rank of Deputy Secretary;

(v) the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Higher Education Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary;

(vi) the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Finance Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary;

(vii) the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Law and Legislative Affairs Department or his nominee not below the rank of Additional Secretary;

(viii) the Chairperson, University Grants Commission or his nominee;

(ix) the Chairperson, Indian Council of Social Science Research or his nominee not below the rank of Director in Indian Council of Social Science Research, New Delhi;

(x) the Joint Secretary or his nominee not below the rank of Deputy Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, New Delhi;

(xi) the Director, Dr. Ambedkar Foundation, New Delhi;

(xii) the Director, Extension and Training of University;

(xiii) three Deans of the University nominated by the Chancellor for three years on rotation basis;

(xiv) the Registrar of the University - Secretary;

Non-official Members

(xv) two eminent social scientists at least one from Scheduled Castes and Scheduled Tribes, having academic or research experience in the field of socio-economic and educational development of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes;

(xvi) two eminent persons at least one from Scheduled Castes and Scheduled Tribes, associated with Government/Non-Government Organisations of repute, having experience in the field of socio-economic and educational development of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

Powers and functions of Governing Body.

19. (1) The Governing Body shall take all necessary actions for achievement of objectives of the University.

(2) The Governing Body shall exercise the following powers:—

(i) make and amend Statutes of the University;

(ii) review the progress and ensure fulfilment of the objectives of the University;

(iii) accept, reject, review, quash or refer back any proposal, recommendation, decision or report of Executive Council or any body appointed under this Act;

(iv) propose amendments in the Ordinance;

(v) invite additional persons as special invitees over and above the members of the Governing Body;

(vi) exercise such other powers and discharge such other functions as may be conferred upon it by the Act.

The Executive Council.

20.(1) The Executive Council shall be the executive body of the University.

(2) The terms of its members, other than ex officio members, shall be three years. The non-official members shall be nominated by the Chairperson of the Executive Council, from amongst non-official members of the Governing Body.

(3) The Executive Council shall be in charge of the general management and administration (including the revenue and property) of the University.

(4) Quorum for a meeting shall be at least one-half of the total members of Executive Council.

Constitution of Executive Council.

21. The Executive Council of the University shall consist of the following members:—

(i) Vice-Chancellor of the University - Chairperson;

Ex-Officio Members

(ii) the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Scheduled Caste Welfare Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary;

(iii) the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Higher Education Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary;

(iv) the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Scheduled Tribe Welfare Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary;

(v) the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Finance Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary;

(vi) the Chairperson, Indian Council of Social Science Research or his nominee not below the rank of Director in Indian Council of Social Science Research, New Delhi;

(vii) the Director, Extension and Training of the University;

(viii) three Deans of University, who are the members of the Governing Body;

(ix) Registrar of the University–Secretary;

Non-Official Members

(x) two eminent social scientists, who are the members of the Governing Body;

(xi) two eminent persons, who are the members of Governing Body.

Powers and functions of Executive Council.

22. (1) The Executive Council shall exercise the following powers and perform the following functions—

(i) to make and amend Regulations not inconsistent with the Ordinance and Statutes of University from time to time;

(ii) to create, classify and determine the qualifications, emoluments, duties, service conditions, disciplinary and appellate authorities of faculty posts along with pay-scales;

(iii) to appoint from time to time librarian, professors, associate professors, assistant professors and other members of faculty as may be necessary on the recommendation of the selection committee constituted by regulations for the purpose:

Provided that the academic posts shall be created with the prior approval of the State Government;

(iv) to create administrative, ministerial and other necessary posts with the prior sanction of the State Government and to determine the minimum qualifications and emoluments of such posts;

(v) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property and all other administrative affairs of the University, and for that purpose, to appoint such agents as it may deem fit;

(vi) to acquire by purchase, gift, exchange, lease, hire or otherwise, movable or immovable property or funds, not inconsistent with objectives of University and the provisions of this Act;

(vii) to sell, mortgage, charge, lease, exchange or otherwise transfer or dispose of any movable or immovable property of the University;

(viii) to borrow or raise moneys which may be required for the purpose of the University, upon bonds, debentures and promissory notes or other obligations, or securities of the University by mortgage, charge, hypothecation or pledge of any movable or immovable properties of the University;

(ix) to consider reports of enquiry in disciplinary proceedings against faculty where it is proposed to award them major punishment as per Statutes of the University;

(x) to act as the appellate authority in service matters of employees as per the provisions contained in the Ordinance;

(xi) to consider and approve:
(a) annual report;
(b) annual accounts and auditor's report;
(c) annual budget;

(xii) to sanction expenditure on recurring and non-recurring items as approved in the budget;

(xiii) to re-appropriate funds from one budget head to another;

(xiv) to scrutinise and recommend all matters before they are placed for consideration of the Governing Body;

(xv) to give approval for engineering works, purchase of capital equipment, and implementation of schemes and projects of monetary value above such limits as may be determined by the Executive Council from time to time;

(xvi) to select a common seal for the University and provide for the custody and use of such seal;

(xvii) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or delegated on it by the Governing Body;

(xviii) to delegate any of its powers to the Vice-Chancellor of the University or a committee appointed by it as it may deem fit;

(2) The Executive Council may ;

(i) create new Departments, Research and Development Centres, Extension and Training centres for the promotion and fulfilment of objectives of the University;

(ii) recommend to the Governing Body for creation of new Schools, Directorates and Institutions subject to clearance of the Finance Department of the State Government.

The Academic Council.

23. (1) The Academic council shall be the highest academic body of the University.

(2) The terms of its members, other than ex-officio members, shall be three years.

(3) The Academic Council shall be responsible for the maintenance of standards of instructions, education and examination, and shall exercise such other powers and perform such other functions as prescribed in the Ordinance.

Constitution of Academic Council.

24. The Academic Council of the University shall consist of:-

(i) Vice-Chancellor of the University –Chairperson;

(ii) Deans, Schools of Studies;

(iii) Director, Extension and Training;

(iv) Dean Students Welfare;

(v) Librarian;

(vi) Finance Comptroller;

(vii) Heads of Departments;

(viii) two eminent social scientists who are non-official members of Governing Body, to be nominated by Chairperson;

(ix) Registrar of the University - Secretary.

Powers and functions of Academic Council.

25. The Academic Council shall have following powers and functions:—

(i) to make and amend Ordinances for admission, standards of instructions, examination, evaluation, fellowships, fees, concessions, attendance, discipline, educational advancement and academic excellence etc. so as to fulfil objectives of the University;

(ii) to advise, plan, steer, supervise, monitor and manage all academic affairs of University - education, research, extension and training, distance education, international collaboration and exchange programmes etc;

(iii) to recognize degrees and diplomas of other Universities and Institutions and to determine their equivalence in relation to the degrees and diplomas of the University;

(iv) to make regulations for students to maintain discipline and decorum in campus premises including schools and departments, examination, library, hostels, sports, cultural activities, penalty and punishment, conduct, probation, punctuality etc;

(v) to approve academic programmes and calendar, courses of education and lay down broad academic policies of the University including curriculum development, framing and revising syllabi through Board of Studies from time to time;

(vi) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act, Statutes, Ordinances, and Regulations made thereunder;

(vii) to report on any matter referred to it by the Governing Body or the Executive Council;

(viii) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under this Act.

Finance Committee.

26. (1) The Finance Committee shall consist of the following members, namely:

(i) the Vice-Chancellor - Chairperson;
(ii) all Deans/ Directors of the University;
(iii) Registrar of the University;
(iv) Finance Comptroller of the University - Secretary.

(2) The Finance Committee shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

(3) The annual accounts and financial estimates of the University prepared by the Finance Comptroller shall be laid before the Finance Committee for consideration and comments and thereafter submitted to the Executive Council for approval with or without amendments.

School of Studies.

27. (1) There shall be such number of Schools as determined by the Governing Body and such numbers of Centres and Departments of Studies as determined by the Executive Council from time to time.

(2) Without prejudice to the foregoing provisions, the University shall have the following Schools of Studies, initially:—

(i) School of Dr. Ambedkar's Thoughts and Philosophy;
(ii) School of Social Sciences and Management Studies;
(iii) School of Agriculture and Rural Development;
(iv) School of Education and Skill Development;
(v) School of Law and Social Justice.

(3) The Governing Body may set up Schools and Executive Council may set up Centres and Departments on the recommendation of the Academic Council.

(4) Every School of Studies shall have a Dean who shall be appointed in the manner as may be prescribed in the regulations.

(5) Every School of Studies shall consist of such Departments as shall be assigned to it by the Ordinances.

(6) Every School of Studies shall have a Board of Studies comprising of such members as may be prescribed by the Ordinances.

(7) The powers and functions of the Board of Studies shall be such as may be prescribed by the Ordinance.

Directorates.

28. As prescribed under provisions of relevant Statutes, Directorates of the University shall be established, through which the University shall conduct research, extension and training activities through Samajik Vigyan Kendras established under relevant Ordinances.

Statutes.

29. Subject to the provisions of this Act, the statutes may provide for all or any of the matters of the University, namely:—

(i) creation of Schools, Directorates, Institutions;

(ii) constitution, powers and functions of Governing Body and other matters connected therewith;

(iii) constitution, powers and functions of Executive Council and other matters connected therewith;

(iv) constitution, powers and functions of Academic Council and other matters connected therewith;

(v) appointment, terms and conditions, pay-scales and emoluments, powers and functions of Vice Chancellor;

(vi) any other matter with the approval of Governing Body.

Statutes how made.

30. The University shall, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes:

Provided every new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal of a Statute shall be made with the approval of the Governing Body.

Ordinances.

31. The University shall make Ordinances for all or any of the matters, namely:—

(i) courses of study, admission, standards of instructions, conduct of examination, evaluation, fellowships, fees, concessions, attendance, discipline, educational advancement and academic excellence so as to fulfil objectives of the University;

(ii) degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions to be awarded by the University and qualifications of the same;

(iii) examination leading to the degrees, diplomas, certificates of the University;

(iv) supervision, monitoring and managing all academic affairs of University-education, research, extension and training, distance education, international collaboration and exchange programmes etc;

(v) code of conduct, conduct rules, disciplinary actions and committees for students;

(vi) miscellaneous and other matters which by this Act or the Statutes are also to be or may be provided by the Ordinances.

Ordinances how made.

32. The first administrative and academic Ordinances shall be made by the Vice-Chancellor and Ordinances so made, shall be got approved by the Executive Council:

Provided that in case of any amendment in such ordinances the said amendment shall be applicable from the date of approval.

Regulations.

33. Not inconsistent with this Act, the University shall formulate its own Regulations for appointments, terms and conditions of service, pay and allowances, retirement benefits, pension, gratuity *etc.* for faculty and officers and employees of the University.

Regulations how made.

34. The University shall, from time to time, make new or additional Regulations or may amend or repeal the Regulations:

Provided every new Regulation or addition to the Regulations or any amendment or repeal of a Regulation shall be made with the approval of Executive Council.

Annual report.

35. The annual report of the University shall be prepared and shall be submitted to the Executive Council on or before such date as may be prescribed.

Audit of accounts.

36. (1) The accounts of the University shall at least once in every year, be audited by a Chartered Accountant appointed by the University. The accounts shall also be audited by the Accountant General.

(2) A copy of the audited accounts, together with the audit report shall be presented before the Executive Council for approval.

(3) A copy of the audited account and audit report, for each financial year as approved by the Executive Council shall be submitted to the Government not more than twelve months after the end of the financial year.

Funds of the University.

37. (1) The University shall have fund called "University Fund" and all its receipts shall be credited thereto and all payments of University shall be made therefrom.

(2) The following shall form part of, or be paid into, the University Fund—

(i) any rent, contribution or grant by Central or State Government or any body corporate;

(ii) trusts, bequests, donations, endowments and other grants, if any;

(iii) receipts from all sources including fees and charges;

(iv) funds received from all sources for various programmes and activities like teaching, research, training, extension, seminars, symposia, workshops, etc; and

(v) all other sums received by the University from any valid source.

(3) The University Fund shall be kept in any Nationalised Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934, (No. 2 of 1934).

38. The University shall confer the following degrees, namely:— **Degrees and diplomas.**

(i) Doctor of Literature (D.Litt.) or Doctor of Sciences (D.Sc.) or Doctor of Law (LLD);

(ii) Doctor of Philosophy (Ph.D.);

(iii) Master of Philosophy (M.Phil.);

(iv) Bachelors and Masters Degree of Arts, Social Sciences, Sciences, Laws, Agricultural Sciences, Engineering, Computer Science and Information Technology, Education, Commerce, Management and allied subjects;

(v) such other Doctors or Masters or Post Graduate or Graduate Degrees or integrated courses or foreign study exchange programmes or Diplomas or Certificates as may be prescribed through ordinances of the University in accordance with norms of regulatory authorities, viz. University Grants Commission/National Council for Teacher Education/All India Council for Technical Education etc.

39. Any proposal for the conferment of honorary degrees shall be made by the Academic Council to the Executive Council, and the proposal if accepted by the Executive Council shall require the assent of the Chancellor for confirmation. **Honorary degrees.**

40. The Academic Council may, by a special resolution passed by a majority of not less than two thirds members, withdraw any degree or academic distinction conferred on, or any certificate or diploma granted to, any person by the University for good and sufficient cause: **Withdrawal of degrees etc.**

Provided that no such resolution shall be passed until a notice in writing has been given to that person calling upon him to show cause within such time as may be specified in the notice why such resolution should not be passed and until his objections,

if any and any evidence he may produce in support of them, have been considered by the Academic Council.

41. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty. **Removal of difficulties.**

42. Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes— **Transitional provisions.**

(i) His Excellency Governor of Madhya Pradesh and the Chairman, Dr. Babasaheb Ambedkar National Institute of Social Sciences, Dr. Ambedkar Nagar (Mhow) shall be designated as Chancellor of the University ;

(ii) Director General, Dr. Babasaheb Ambedkar National Institute of Social Sciences, Dr. Ambedkar Nagar (Mhow) shall be designated as the first Vice- Chancellor of the University till the remaining period of five years of tenure or attainment of 70 years of age, whichever is earlier. The subsequent Vice-Chancellor shall be appointed in the manner as prescribed in the Statute;

(iii) the members of the Governing Body, the Executive Council and the Academic Council shall be nominated by the State Government in consultation with Vice-Chancellor and shall hold office for a term of three years;

(iv) all assets, records and liabilities of Dr. Babasaheb Ambedkar National Institute of Social Sciences, Dr. Ambedkar Nagar (Mhow) shall become assets, records and liabilities of the University with effect from the date of commencement of this Act.

Indemnity.

43. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against and no damages shall be claimed from the University, the Vice-Chancellor, the authorities or officers of the University or any other person in respect of anything which is in good faith done or purported to have been done in pursuance of this Act or any Statutes, Ordinances, rules and Regulations made thereunder.

Special provision for better administration of University in certain circumstances.

44. (1) If the State Government on receipt of a report or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the University can not be carried out in accordance with the provisions of the Act, without detriment to the interests of the University and it is expedient in the interest of the University so to do, it may by notification, for reasons to be mentioned therein, direct that the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) shall, as from the date specified in the notification (hereinafter in this section referred to as the appointed date), apply to the University.

(2) The notification issued under sub-section (1) (hereinafter referred to as the notification) shall remain in operation for a period of one year from the appointed date and the State Government may, from time to time, extend the period by such further period as it may think fit so however that the total period of operation of the notification does not exceed three years.

(3) As from the appointed date, the Vice-Chancellor, holding office immediately before the appointed date, shall notwithstanding that his term of office has not expired, vacate his office, and the Chancellor shall simultaneously with the issue of the notification appoint the Vice-Chancellor, who shall hold office during the period of operation of the notification:

Provided that the Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government and may be removed by the Chancellor in the like manner:

Provided further that the Vice-Chancellor may, notwithstanding the expiration of the period of operation of the notification, continue to hold office thereafter until his successor enters upon office but this period shall not exceed one year.

(4) As from the appointed date, the following consequences shall ensue, namely:—

(i) every person holding office as a member of the Executive Council or the Academic Council, as the case may be, immediately before the appointed date shall cease to hold that office;

(ii) until the Executive Council or Academic Council, as the case may be, is reconstituted, the Vice-Chancellor appointed under sub-section (3) shall exercise the powers and perform the duties conferred or imposed by or under this Act, on the Executive Council or Academic Council:

Provided that the Chancellor may, if he considers it necessary so to do, appoint a committee consisting of an educationist, an administrative expert and a financial expert to assist the Vice-Chancellor so appointed in exercise of such powers and performance of such duties.

(5) Before the expiration of the period of operation of the notification or immediately as early as practicable, thereafter, the Vice-Chancellor shall take steps to constitute the Executive Council and Academic Council in accordance with the provisions of the Act, and the Executive Council and Academic Council as so constituted shall begin to function on the date immediately following the date of expiry of the period of operation of the notification of the date on which the respective bodies are so constituted, whichever is later:

Provided that if the Executive Council and Academic Council are not constituted before the expiration of the period of operation of the notification, the Vice-Chancellor shall on such expiration, exercise the powers of each of these authorities subject to prior approval of the Chancellor till the Executive Council or Academic Council, as the case may be, is so constituted.

Supersession and saving.

45. Dr. Babasaheb Ambedkar National Institute of Social Sciences, Dr. Ambedkar Nagar (Mhow) regulation, namely Memorandum of Association and Regulations dated 2-3-1998 as amended from time to time, shall stand superseded by this Act, Statutes and Ordinances from the date of their commencement:

Provided notwithstanding anything contained in this Act, Statutes and Ordinances, all appointments made, notifications as well as orders issued, privileges granted or other things done under Memorandum of Association and Regulations of Dr. Babasaheb Ambedkar National Institute of Social Sciences, Dr. Ambedkar Nagar (Mhow) in force immediately before the commencement of this Act, Statutes and ordinances shall be deemed to have been respectively made, issued, conferred, granted or done under this Act and Statutes.

Repeal and saving.

46. (1) Dr. B.R.Ambedkar University of Social Sciences Ordinance, 2015 (No. 4 of 2015) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 183] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 मार्च 2021—चैत्र 9, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2021

क्र. 4882-160-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26 मार्च 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् २०२१

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२१

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ९क अंत:स्थापन.
४. धारा १० का स्थापन.
५. निरंसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् २०२१

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२१

[दिनांक २६ मार्च, 2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ३० मार्च २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१५ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२१ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१५ (क्रमांक २ सन् २०१६) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है की धारा २ में, खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ट-क) ''प्रति कुलपति'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ९क में यथा विहित कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति;''.

धारा ९क का अंत:स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ९ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

प्रति कुलपति.

''९क. कुलपति किसी एक संकायाध्यक्ष को प्रति कुलपति के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा जो कुलपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाएं.''.

धारा १० का स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

''१०. विश्वविद्यालय के अधिकारियों में प्रति कुलपति, संचालक, अध्ययन केन्द्र का संकायाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण, कुल सचिव, वित्त नियंत्रक और ऐसे अन्य अधिकारी सम्मिलित होंगे, जिन्हें कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए.''.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

५. (१) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक ७ सन् २०२१) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2021

क्र. 4882-160-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 7 OF 2021

DR. B. R. AMBEDKAR UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES (AMENDMENT) ACT, 2021

TABLE OF CONTENTS

Sections:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 2.
3. Insertion of section 9A.
4. Substitution of section 10.
5. Repeal and savings.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 7 OF 2021

DR. B. R. AMBEDKAR UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES (AMENDMENT) ACT, 2021

[Received the assent of the Governor on the 26th March, 2021; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th March, 2021.]

An Act further to amend Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences Act, 2015.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-second year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences Act, 2015 (No. 2 of 2016) (hereinafter referred to as the principal Act) after clause (k), the following clause shall be inserted, namely :—

"(k-a) "Pro-Vice-Chancellor" means Pro-Vice-Chancellor of the University nominated by the Vice-Chancellor as prescribed in Section 9A of the Act;".

Insertion of Section 9A.

3. After Section 9 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Pro-Vice-Chancellor.

"9A. The Vice-Chancellor may nominate one of the Deans as Pro-Vice-Chancellor who shall hold office during the pleasure of the Vice-Chancellor and shall perform such function as my be assigned to him by the Vice-Chancellor.".

Substitution of Section 10.

4. For Section 10 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Officers of the University.

"10. The officers of the University shall include Pro-Vice-Chancellor, Director Dean of School, Dean Students Welfare Registrar, Finance Comptroller and such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.".

Repeal and saving.

5. (1) Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences (Amendment) Ordinance, 2021 (No. 7 of 2021) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.